



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1935 (श०)  
(सं० पटना 278) पटना, सोमवार, 8 अप्रैल 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

01 अप्रैल 2013

सं० वि०स०वि०-०४/२०१३- ३५९७/वि०स०—“बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, २०१३”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

**बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक 2013**

[विंसठविं-04/2013]

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम 15, 1995) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौसठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—  
1. सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।— (1) यह अधिनियम, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2013 कहा जा सकेगा।

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 15, 1995 की धारा— 3 में संशोधन ।— बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा— 3 (1) के बाद निम्नलिखित परन्तु जोड़ा जाएगा, यथा —

“परन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार, स्नातक स्तर के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से पृथक परीक्षा लेने का निर्णय ले सकेगी।”

**उद्देश्य एवं हेतु**

वर्तमान में मेडिकल, इंजीनियरिंग के साथ ही कृषि विषयों में स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए राज्य में एक ही परीक्षा आयोजित की जाती है। अंतिम परीक्षा के बाद में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में नामांकन हेतु साक्षात्कार समाप्त होने के बाद ही कृषि आदि विषयों के लिए साक्षात्कार आयोजित किये जाने से इसके नामांकन में काफी विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप सत्र विलम्ब से शुरू होता है। स्नातक स्तर पर कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश की कठिनाईयों एवं विलम्ब के फलस्वरूप रिक्तियाँ शेष रह जाती हैं। कृषि एवं अन्य विज्ञान में नामांकन के लिए अलग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किये जाने की आवश्यकता है। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की धारा—3 की उप-धारा (1) में संशोधन की आवश्यकता है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप कृषि एवं सम्बद्ध विषय में स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए परीक्षा का संचालन अलग से संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद अथवा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पृथक परीक्षा लेने का निर्णय ले सकेगी। यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)  
भार-साधक सदस्य

पटना  
दिनांक 01 अप्रैल, 2013

प्रभारी सचिव  
बिहार विधान-सभा।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**  
**बिहार गजट (असाधारण) 278-571+10-डी0टी0पी0।**  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**